न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 09/2008

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये श्यामप्रकाश भटनागर प्रवर्तन निरीक्षक, बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. विकास गर्ग पुत्र सुभाष गर्ग एन.बी.एच.सी. द्वारा नियुक्त जीवराज एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि अटरू
2. रामकिशन जी.आर.3 भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी, बारां
3. बालकिशन नागर मूण्डला गेंहू विक्रेता ग्राम मूण्डला तहसील अटरू
4. राजेन्द्र जैन उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 11 कस्बा अटरू, जिला बारां
5. हंसराज पुत्र धन्नालाल गोयल (चन्द्रप्रकाश उ.मू.दुकानदार दड़ा का भाई) (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5)

निर्णय दिनांक 27.03.2024

हस्तगत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2008 को शिकायत प्राप्त होने पर बाद जांच 220 कट्टे गेंहू वजनी 110 क्विंटल जो कि अटरू कस्बे में स्थित आर.एस.ड्ब्ल्यू.सी. गोदाम में रखे थे को अलग स्थान पर चट्टा लगवाकर पहचान के रूप में एक निशान स्याही का उक्त कट्टों पर लगाया गया तथा आर.एस.ड्ब्ल्यू.सी. को पाबन्द कर निर्देशित किया गया कि विवादित गेंहू के 220 कट्टे गेंहू वजनी 110 क्विंटल खुर्द बुर्द नहीं किया जाकर (सील्ड) सुरक्षित रखा जावे तथा उक्त 110 क्विंटल गेंहू की राशि का भुगतान एन.बी.एच.सी. द्वारा मै. जीवराज एण्ड कम्पनी अटरू को भुगतान नही कर भुगतान राशि रोक दी गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.06.2008 को पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई जाकर आवेदन अन्तर्गत धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। जिस पर दिनांक 12.08.2008 को जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर उक्त जब्तशुदा गेंहू 110 क्विंटल की नीलामी की जाकर प्राप्त आय को अमानत सीगे में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5 ने जर्ये अभिभाषक जवाब नोटिस पेश कर नोटिस में अंकित बिन्दुओं को अस्वीकार किया तथा अप्रार्थी कम 1 विकास गर्ग द्वारा 220 कट्टे गेंहू सुपुर्दगी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। थानाधिकारी ... से आपराधिक प्रकरण बाबत रिपोर्ट चाहे जाने पर प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण ... 3/7 ... व धारा 120 बी आई.पी.सी. के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश ... तथा पत्रावली सी.आई.डी.सी.बी. जयपुर में जैरकार होना अवगत होने पर अप्रार्थी कम 1 विकास गर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी 220 कट्टे गेंहू खारिज किया जाकर प्रार्थी (स्टेट) ... प्रार्थना पत्र स्वीकार ... जब्तशुदा गेंहू 110 क्विंटल को राजसात किया जाकर अमानतशुदा राशि राजकीय आय मद में जमा करवाये जाने के आदेश निर्णय दिनांक 22.02.2010 से प्रदान किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 विकास गर्ग द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां में आपराधिक अपील संख्या 51/2010 बउनवान विकास गर्ग बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, बारां पेश की जिसमें बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2012 को निर्णय पारित किया गया कि "कार्यालय पुलिस थाना अटरू के पत्र क्रमांक 2084 दिनांक 15.04.2010 एवं विद्वान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा के पत्र क्रमांक 981 दिनांक 09.07.2012 द्वारा दर्शायी गयी सूचना के आधार पर अपीलार्थी विकास गर्ग का यह मामला पुनः सुनवाई एवं निस्तारण हेतु विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को वापस भेजना उचित समझता हूं। विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, बारां, पुलिस आरक्षी केन्द्र अटरू एवं विद्वान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबड़ा के उक्त पत्रों में दर्शायी गई स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी विकास गर्ग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र के संबंध में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार आदेश पारित करें।"

इस पर प्रकरण वापस न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को प्राप्त होने पर पृथक से दर्ज नहीं किया गया तथा मूल नम्बर पर ही सुनवाई की गई। माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां के आदेश दिनांक 18.10.2012 में नियत तिथि दिनांक 05.11.2012 को अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5 की ओर से अभिभाषक अप्रार्थी ने उपस्थिति दी तथा आगामी पेशी दिनांक 18.12.2012 नियत की गई। नियत तिथि को प्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद तथा अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5 की ओर से अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित होने पर हमने प्रकरण सीधे बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2009 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एन.बी.एच.सी. कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि है तथा किसानों से माल नीलामी में खदीदकर उसे आगे बेचने का कार्य करता है। हस्तगत कार्यवाही में आरोपित गेंहू 220 कट्टे वजनी 110 क्विंटल बालकिशन नागर नामक किसान से खरीद किया है। जिस बाबत कृषि उपज मण्डी समिति अटरू की रसीद संख्या 20068 में पूरा इन्द्राज है और उसे इसी रसीद के माध्यम से खरीद किये गये गेंहू का भुगतान 1,10,000/– रूपया जरिये चैक नं. 0207833 के द्वारा किया गया है जो प्रार्थी का सद्भावना पूर्वक कृत्य है। प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस भेजा गया गेंहू बालकिशन नागर नामक किसान से खरीद किया जाकर ही भेजा गया है। बालकिशन नामक किसान मण्डी समिति अटरू में माल लेकर आया और वह किसान है इस बाबत जांच मण्डी समिति द्वारा उसकी काश्त जमीन के कागजात देखकर तस्दीक किये जाने पर गेंहू को बेचने हेतु मण्डी में अपने रजिस्टर में इन्द्राज कर मण्डी में दाखिल करवाया। उसके बाद ही प्रार्थी ने नियमानुसार खरीद की जिससे गेंहू को लौटाया जाना या नीलामी की सूरत में उसकी कीमत प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें। थानाधिकारी, पुलिस थाना अटरू के पत्र क्रमांक 2084 दिनांक 15.04.2010 के अवलोकन से प्रकरण के संबंध में जैरकार प्रकरण संख्या 143/08 धारा 3/7, 3/8 ई.सी.एक्ट व धारा 120 बी आई.पी.सी. में अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित नहीं जाया जाने पर पुलिस अधीक्षक, बारां के आदेश क्रमांक 24720 दिनांक 31.12.09 की पालना में अनुसंधान समाप्त किया गया तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अटरू जिला बारां के आपराधिक प्रकरण संख्या (415/2008) 162/2015 बउनवान राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र कुमार जैन वगैरह अन्तर्गत धारा 3/7, 3/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 10.04.2019 को निर्णय पारित किया जाकर अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट व 120 बी भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया। जब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर एफ. आर. जमा दी गई है तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अटरू द्वारा में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है तो प्रार्थी विकास गर्ग के जब्तशुदा गेंहू 220 कट्टे 110 क्विंटल की जमाशुदा राशि उसे वापस भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस उपस्थित पेरोकार रसद ने अभिभाषक अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अटरू द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने से अप्रार्थी क्रम 1 को जब्तशुदा गेंहू 220 कट्टे 110 क्विंटल की जमाशुदा राशि वापस भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रकट की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 09/2008 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2010 की अपील में माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां ने अपील संख्या 51/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2012 से "कार्यालय पुलिस थाना अटरू के पत्र क्रमांक 2084 दिनांक 15.04.2010 एवं विद्वान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा के पत्र क्रमांक 981 दिनांक 09.07.2012 द्वारा दर्शायी गयी सूचना के आधार पर अपीलार्थी विकास गर्ग का यह मामला पुनः सुनवाई एवं निस्तारण हेतु विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, बारां को वापस भेजना उचित समझता हूं। विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, बारां, पुलिस आरक्षी केन्द्र अटरू एवं विद्वान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबड़ा के उक्त पत्रों में दर्शायी गई स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी विकास गर्ग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र के संबंध में सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये" तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अटरू द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य तथा अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 220 कट्टे 110 क्विंटल गेहूं की जमाशुदा राशि अप्रार्थी क्रम 1 विकास गर्ग पुत्र श्री सुभाष गर्ग एन.बी.एच.सी. द्वारा नियुक्त मै0 जीवराज एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि अटरू को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.08 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)